अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पठासीन अधिकारी:— शकुन्तला (आर.ए.एस.)

कृष्ण सिंह बनाम रेवतसिंह आदि
दावा बाबत विभाजन व घोषणार्थ
मुकदमा नम्बर :— 110/2017
निर्णय

निर्णय दिनांक :— 30/03/2021

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2019 को प्राथमिक डिकी जारी की गई थी, तथा तहसीलदार मलसीसर को निदेर्शित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश कमांक भू0अ0/2020/1058 दिनांक 13.07.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिकी दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एंव सलंग्न नक्शा ट्रेस अन्तिम डिकी का भाग रहेगा।

.निज,,—....................—....................मुबलिक—....................—दाबन,..........................—...............................
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह—..............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक—....................—........................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख.30...माह 03 सन् 2021 को जारी की गई।

शकुन्तला
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पठासीन अधिकारीः– श्रीमती ज्योति मीणा (आर.ए.एस.)

कृष्णसिंह आदि बनाम रेवतसिंह आदि

दावा बाबत विभाजन व घोषणार्थ

मुकदमा नम्बर :– 110/2017

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 09.04.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर ब हाजिरी उभयपक्षकारान को प्राथमिक डिक्री दी जाती है –

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री इस आश्य की दी जाती है कि ग्राम टमकोर स्थित भूमि ख0न0 379 रकबा 2.28 है0 मे से वादीगण 1 लगायत 3 का विधिवत विभाजन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एंव कब्जा काश्त के अनुसार किये जाने का आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मलसीसर उभयपक्षकारान के मध्य विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के दो प्रतियों में इस न्यायालय में पेश करे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

..निज,,–..................–...................मुबलिक–...................–दाबन,.........................–........ ....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह–...............................फसीदी आज की तारीख से तारीख तक–...................–.......................... को अदा करे।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09 माह 04 सन् 2019 को जारी की गई।

(ज्योति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर